न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मुकदमा संख्या 323/2025

अनवान राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार सिणधरी बनाम सरकार

—::आदेश::—

दिनांक 26.12.2025

श्रीमान जिला कलक्टर के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व ग्राम **सिणधरी चारणान** पटवार मण्डल **सिणधरी** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार के निम्नांकित समर्पण शुदा भूमि सरकारी खातेदारी में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है.जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3(2)राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत राजस्व ग्राम **सिणधरी चारणान** पटवार मण्डल **सिणधरी** तहसील सिणधरी की निम्नांकित निजी खातेदारी भूमि को **गैर मुमकिन रास्ता** दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में आदेशानुसार पालना करते हुए पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र. स.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा (हैक्ट.)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि			
					रकबा (हैक्ट.)	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	किस्म
1	राजस्थान सरकार	458/134	0.2912	बा.दो.	0.2912	382.15	7.62	गै. मु. रास्ता
2	राजस्थान सरकार	464/140	0.3563	बा.दो.	0.3563	467.58	7.62	गै. मु. रास्ता
	योग		0.6475		0.6475			

(समदर सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.29 15:29:27 IST
Reason: SelfAttested